उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-40 /2021/ 332प्र0स0 /92-2-2021-11जांच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 10 सितम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

विधान परिषद स्नातक/शिक्षक निर्वाचन, 2014 तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सम्यक निर्वहन न किये जाने तथा निर्वाचन डियूटी से अनुपस्थित रहने, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से अनुमति प्राप्त किये बगैर मुख्यालय से बाहर रहने, जिलाधिकारी, बुलंदशहर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग न करने, लोहिया ग्रामों के कार्यो की प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिशिचत करने हेतु जिलाधिकारी, बुलंदशहर के निर्देशानुसार भ्रमण कर आख्या न देने एवं बिना अनुमति मुख्यालय छोड देने, तहसील दिवस में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने, लोहिया ग्रामों में निर्मित सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन की गुणवत्ता पर समुचित नियंत्रण न रखने, लोहिया ग्रामों में अधोमानक कार्य कराये जाने एवं विधायक निधि के अंतर्गत निर्मित कार्यो की गुणवत्ता अत्यन्त खराब पाये जाने व निर्माण कार्यो में शिथिल नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2634/92-2014-23जांच/2014 दिनांक 13.08.2014 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियत्रंण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन की अवधि में श्री नरेन्द्र कुमार को कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया।

2- कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-5176/92-2014-23जांच/2014 दिनांक 19.11.2014 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार के निलम्बन को समाप्त करते हुये उनको सेवा में इस शर्त/प्रतिबंध के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत चलती रहेगी। इसी मध्य अपचारी अधिकारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हो गये। तत्क्रम में उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.08.2014 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को कार्यालय ज्ञाप संख्या-79/2017/579/9252-17-11जांच/2015 दिनांक 19.05.2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित की गयी।

3- शासन के पत्र संख्या-4326/92-2014-23जांच/2014 दिनांक 18.09.2014 एवं पत्र संख्या-5225/92-2014-23जांच/2014 दिनांक 21.11.2014 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्व अनुमोदित आरोप पत्र तथा अनुपूरक आरोप पत्र निर्गत करते हुये जांच अधिकारी को नियमानुसार जॉच कर जॉच आख्या निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ के द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र तथा अनुपूरक आरोप पत्र श्री नरेन्द्र कुमार को दिनांक 03.12.2014 एवं दिनांक 22.12.2014 को तामील कराया गया। श्री नरेन्द्र कुमार को दिनांक 27.06.2015 को कार्यालय जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मेरठ में उपस्थित होकर अपना बचाव उत्तर जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया गया। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 14.07.2015 से शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जॉच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 24.07.2015 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 16.11.2015, जो शासन में दिनांक 08.12.2015 को प्राप्त हुआ, द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 29.05.2017 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुक्रम में मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज ने अपने पत्र दिनांक 05.10.2017 द्वारा सहमति उपलब्ध करायी गयी।

4- शासन द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार के सेवानिवृत्त के दृष्टिगत प्रमाणित पाये गये आरोपो के संबंध में किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का औचित्य नहीं पाया किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 17,27,246.00 की वसूली जिस पर मा0 आयोग की सहमति भी प्राप्त की गयी को शासन के कार्यालय ज्ञाप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-146/2018/2241/92-2-18-11जांच/2015 दिनांक 26.10.2018 द्वारा श्री नरेन्द कुमार के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को निम्न आदेश के साथ समाप्त कर दी गयी :-

> ''शासकीय क्षति +ऋणात्मक व्यय रू0 (10,59,951.00 + 6,67,295.00) कुल रू0 17,27,246.00 की वसूली अपचारी अधिकारी, श्री नरेन्द्र कुमार के सेवानैवृत्तिक देयकों से तथा यदि सेवानैवृत्तिक देयकों से वूसली संभव न होने पर सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली की जाय।''

5- अपचारी अधिकारी, श्री नरेन्द्र कुमार के विरूद्व प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में उनके सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया था किन्तु उनसे शासकीय क्षति रू0 17,27,246.00 की वसूली किये जाने के आदेश के साथ शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.10.2018 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है। शासन के पत्र सं0-633/92-2-2019-11जांच/2015 दिनांक 09.07.2019 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार को नोटिस निर्गत करते हुये उनसे निलम्बन अवधि दिनांक 13.08.2014 से 19.11.2014 तक को कर्तव्यार्थ अवधि न मानते हुये, उक्त अवधि में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ते तक ही सीमित रखे जाने के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-5 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार फाइनेशियल हैण्ड बुक भाग-2 , भाग-2 से 4 के नियम-54 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार को उत्तर शासन में 15 दिवस में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जो निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 16.08.2021 के द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार का पत्र दिनांक 23.06.2020 की प्रति उपलब्ध कराते हुये उनके निलम्बन अवधि दिनांक 13.08.2014 से दिनांक 19.11.2014 तक के वेतन भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में यथोचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6- प्रश्नगत प्रकरण में श्री नरेन्द्र कुमार, (प्रथम) तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर के उत्तर दिनांक 23.06.2020 व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री नरेन्द्र कुमार के निलम्बन अवधि दिनांक 13.08.2014 से दिनांक 19.11. 2014 तक के अवशेष वेतन भुगतान का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है क्योंकि शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.10.2018 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार के विरूद्व कुल रू0 17,27,246.00 की वसूली के आदेश पारित करते हुये उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया गया है। यदि श्री नरेन्द्र कुमार सेवा में होते तो उन्हें वसूली के साथ वृहद दण्ड दिये जाने की स्थिति बनती। चूंकि श्री नरेन्द्र कुमार सेवानिवृत्त हो गये थे, को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नहीं पाया गया था। अत श्री नरेन्द्र कुमार के निलम्बन अवधि दिनांक 13.08.2014 से दिनांक 19.11.2014 तक को कर्तव्यार्थ अवधि न मानते हुये उक्त अवधि में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ते तक ही सीमित रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 40/2021/ 332प्र0स0(1)/92-2-2021 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री नरेन्द्र कुमार, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in